

05.10.2021:—वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थीया संख्या 1 स्वयं व जरिये अधिवक्ता उपस्थित उप.। प्रार्थीया संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश तथा 20.09.2021 को खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.10.2020 को स्वीकार करते हुये प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official



1. माया
2. होमेश
3. अनु बउ
4. मनु बउम्र
5. एकता बउम्र